

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-3)

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.20()चि.स्वा./2/2011 दिनांक 08.04.2011 के द्वारा गठित राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समस्त क्रियाकलापों को सुचारु रूप से चलाने के लिए मंत्रिमण्डल ज्ञापन क्रमांक प.20(3) चि.स्वा./गुप 2/2011 दिनांक 31.03.2011 जिसका अनुमोदन मंत्रिमण्डल की आज्ञा 49/2011 दिनांक 04.04.2011 के द्वारा किया गया, के बिन्दु संख्या V (9) के निर्देशानुसार जारी पत्र क्रमांक प0() आरएमएससीएल/2011/एसपीएल-1 दिनांक 06.05.2011 द्वारा 20 सदस्यों की तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। जिसके पश्चात् तकनीकी सलाहकार समिति का समय-समय पर पुर्नगठन किया गया। वर्तमान में तत्कालीन माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदित गठित तकनीकी सलाहकार समिति (क्रमांक प0 7(1) चिकित्स-05/2019 दिनांक 11.10.2019) के अधिक्रमण में औषधियों एवं सर्जिकल्स, सूचर्स हेतु भिन्न-भिन्न तकनीकी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुर्नगठन किया जाता है।

औषधियों हेतु तकनीकी सलाहकार समिति:-

अध्यक्ष

- 1 प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल।

सदस्य सचिव

- 2 कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक), आरएमएससी।

सदस्य-

- 3 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
- 4 अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- 5 निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
- 6 विभागाध्यक्ष, फार्माकोलोजी विभाग, जे.एल.एन मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
- 7 औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
- 8 डॉ सुधीर मेहता, सीनियर प्रोफेसर (मेडिसिन) एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 9 डॉ कपिल गर्ग, सीनियर प्रोफेसर (शिशु रोग), जे.के लोन चिकित्सालय, जयपुर।
- 10 डॉ सुरेश सिंह, प्रोफेसर (कैंसर सर्जरी), एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 11 कार्यकारी निदेशक (प्रोक्यू0), आरएमएससी।

सर्जिकल्स एवं सूचर्स हेतु तकनीकी सलाहकार समिति:-

अध्यक्ष

- 1 प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल।

सदस्य सचिव

- 2 कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक), आरएमएससी।

सदस्य-

- 3 निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
- 4 डॉ राजेश शर्मा, विभागाध्यक्ष ट्रोमा विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 5 डॉ राजेन्द्र मांडिया, सीनियर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (सर्जरी) एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 6 डॉ नीलम भारद्वाज, सीनियर प्रोफेसर (स्त्री एवं प्रसुति रोग), एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 7 डॉ आर के जैनव, सीनियर प्रोफेसर (जनरल सर्जरी), एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 8 कार्यकारी निदेशक (प्रोक्यू0), आरएमएससी।

उक्त समिति आवश्यक दवा सूची में शामिल/विलोपित किये जाने वाले औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स के संबंध में निर्णय लेने का कार्य करेगी। औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स हेतु समय-समय पर एजेण्डा की आवश्यकतानुसार अन्य विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकेंगा।

तकनीकी सलाहकार समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित कर निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा कर उचित सुझाव प्रस्तुत करती है, जिससे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के निम्न मुख्य उद्देश्यों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके :-

1. आवश्यक दवा सूची में नवीन/उपयोगी दवाओं को शामिल करने एवं अप्रचलित दवाओं को हटाने के संबंध में।
2. कौन-कौनसी औषधियां, सर्जिकल्स एवं सूचर्स क्रय करने हैं।
3. दवाओं की गुणवत्ता के मापदण्ड तय करना।
4. चिकित्सालयों में गठित DTC द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार-विमर्श करना।
5. अन्य विषय जिस पर कमेटी के सुझाव अपेक्षित हों।

अतः सदस्यों को शामिल करते हुए तकनीकी सलाहकार समिति का पुर्नगठन किया जाता है।



(डॉ. पृथ्वी)

शासन सचिव,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक प० ॥ (5) चिख्वा/गुप-3/2023

दिनांक - 9 MAR 2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक एनएचएम।
5. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर।
6. विशेषाधिकारी/समस्त कार्यकारी निदेशक आरएमएससी।
7. विशेषाधिकारी/अतिरिक्त-निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. नोडल ऑफिसर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
9. नोडल ऑफिसर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
10. समस्त सदस्य तकनीकी सलाहकार समिति।
11. आदेश पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग